

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

संचिका संख्या-14/स्था0 (अव0) 07-02/2025-

पटना-15, दिनांक:-

श्रीमती नेहा रानी, नवनियुक्त कनीय अभियंता, यॉत्रिक, क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-640 दिनांक-19.01.2015 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-08.07.2025 से दिनांक-03.01.2026 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(गुंजन कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक- 14/स्था0 (अव0) 07-02/2025

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक- 14/स्था0 (अव0) 07-02/2025-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-मुख्य अभियंता, यॉत्रिक, जल संसाधन विभाग, पटना को उनके पत्रांक-1499 दिनांक-21.06.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक- 14/स्था0 (अव0) 07-02/2025- 3152

पटना, दिनांक :- 10.7.25

प्रतिलिपि :-कार्यपालक/अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)